

संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इंदौर संभाग, इंदौर

क्रमांक/यां.प्र./तक.स्वी./ CON OF RETAINING WALL AT W-7 INDRAVATI NADI KE PASS  
/2026/481 इंदौर , दिनांक - 17-03-2026

प्रति

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,

BISTAN NAGAR PARISHAD, जिला: KHARGONE

विषय: - CON OF RETAINING WALL AT W-7 INDRAVATI NADI KE PASS की तकनीकी स्वीकृति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: - PROJECT NUMBER PW1-EN2-0502-26-481

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से निकाय क्षेत्रान्तर्गत में Others कार्य के प्राक्कलन का परिक्षण किया गया है। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व शासकीय इंजीनियर कॉलेज से पेवमेन्ट/क्रस्ट डिजाइन कराकर उसका अनुमोदन इस कार्यालय से कराया जाना सुनिश्चित करे। म.प्र. नगर पालिका लेखा एवं वित्त नियम 2018 अनुसार पश्चात तकनीकी स्वीकृती प्रदान की जाती है।

क.	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील एस.ओ.आर. का विवरण	तकनीकी स्वीकृति की राशि	जीएसटी (GST)	जीएसटी सहित तकनीकी स्वीकृति की राशि
1	CON OF RETAINING WALL AT W-7 INDRAVATI NADI KE PASS	Municipal Fund, Municipal Fund, Municipal Fund	As per Estimation	15730132.74	2831423.9	18561556.63

शर्तें-

- निर्माण के दौरान एम.ओ.एस.टी. एवं सी.पी.डब्ल्यू.डी. स्पेसिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जावे निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री/कांक्रीट आदि का प्रयोगशाला परीक्षण निर्धारित आवृत्ति अनुसार कराया जावे एवं कार्य के चल देयक, भुगतान के पूर्व उपयोग की गई समस्त सामग्रियों एवं कांक्रीट की टेस्ट रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे।
- म.प्र. न.पा. (प्रेसीडेंट-इन-कंसिल के कामकाज का संचालक तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम 1998 का नियम 5 (5)(एक)(ग्यारह) के प्रावधानों के अनुसार निविदा आमंत्रित की जावेगी।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व फाउंडेशन की मिट्टी की भार वहन क्षमता (साइल बेअरिंग कैपेसिटी टेस्ट) का परीक्षण शासकीय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराया जावे। इस परीक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भवन की संरचना (डिजाइन) सक्षम स्ट्रक्चरल इंजिनियर से करवाई जाकर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जावे। चल देयक भुगतान के पूर्व उपयोग की गई समस्त

- सामग्रियअॅ के प्रयोगशाला की टेस्ट रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्राप्त करने के बाद ही चल देयक का भुगतान किया जाए ।
4. म0प्र0 भूमि विकास अधिनियम 1984 के प्रावधानो के अनुसार पार्किंग की नियमानुसार व्यवस्था की जावे ।
  5. मौके की स्थिति अनुसार यदि किसी प्रकार का परिवर्तन आवश्यक प्रतीत होता है तो निर्माण के पूर्व नियमानुसार सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे ।
  6. निर्माण कार्य स्वयं के अधिपत्य की भूमि में किया जावे ।
  7. स्थल पर वास्तविक रूप से सम्पन्न कार्यों का ही भुगतान किया जावे ।
  8. निर्माण कार्य निजी/अवैध कॉलोनी में नहीं किया जावेगा, यदि कार्य सम्पादित किया जाता है, तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा एवं दी गयी तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी ।
  9. भूमि विवाद की स्थिति में अथवा शासकीय विभाग द्वारा आपत्ति ली जाने पर तकनीकी स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी ।
  10. निर्माण कार्य की सक्षम प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जावे ।
  11. ऐसे निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति जो निविदा आमंत्रण के पश्चात् प्राप्त की जाती है वह स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।
  12. उपरोक्त शर्तों की पूर्ति की जिम्मेदारी निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद की होगी ।
  13. स्थल पर वास्तविक रूप से सम्पन्न कार्यों का ही भुगतान किया जावे ।
  14. भूमि विवाद की स्थिति में अथवा शासकीय विभाग द्वारा आपत्ति ली जाने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी ।
  15. कार्य टुकड़ो में विभाजित होने की स्थिति में इसका दायित्व निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा तथा उक्त स्थिति में प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी ।
  16. निर्माण कार्य की सक्षम प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जावे ।
  17. कार्य स्थल पर संबधित निर्माण कार्य का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जावे, साथ ही कार्य प्रारंभ के पूर्व एवं कार्य समाप्ति पर वीडियअॅग्राफी/फोटोग्राफ तैयार कराये जावें ।
  18. नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग के नियमानुसार आवश्यक स्थल अनुमोदन/अनापत्ति प्राप्त की जावे । नजूल एवं अन्य विभागअॅ से आवश्यक एन.ओ.सी./सहमति भी प्राप्त की जावे ।
  19. प्राप्त निविदा/कोटेशन की दरअॅ की तुलना निकाय के क्षेत्र अथवा नजदीकी लोक निर्माण विभाग /गृह निर्माण विभाग/ग्रामीण यंत्रिकी विभाग/लोक स्था0 यंत्रिकी विभाग के समान कार्यों की वर्तमान प्रचलित दरअॅ से तुलना की जाकर, निविदा समिति के स्पष्ट अभिमत के साथ पारित प्रस्ताव पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी अपने स्पष्ट मत अंकन कर, नियमानुसार पी.आई.सी./परिषद से सक्षम स्वीकृति प्राप्त करेगें ।
  20. निर्माण कार्य की लागत राशि रु. 25.00 लाख से अधिक होने पर स्थल प्रयोगशाला की स्थापना, निर्माण एजेन्सी से कराई जाकर टेस्टेड मटेरियल ही उपयोग में लाया जावे ।
  18. म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. F-6-18/10/18-3/7814 भोपाल दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार राशि रु. 1.00 लाख अथवा उससे अधिक के कराये जाने वाले कार्यों के लिये ई-टेंडरिंग व्यवस्था के माध्यम से आहुत की जाना सुनिश्चित करें ।
  21. निविदा सूचना में प्रावधान किया जाये कि निविदाकार को ई.पी.एफ. एवं लेवर विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र देना होगा । Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा ।

**अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री / सहायक यंत्री**

संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इंदौर संभाग, इंदौर

संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इंदौर संभाग, इंदौर

क्रमांक/यां.प्र./तक.स्वी./ CON OF RETAINING WALL AT W-7 INDRAVATI NADI KE PASS

/2026/481 इंदौर , दिनांक - 17-03-2026

क.	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील एस.ओ.आर. का विवरण	तकनीकी स्वीकृति की राशि	जीएसटी (GST)	जीएसटी सहित तकनीकी स्वीकृति की राशि
1	CON OF RETAINING WALL AT W-7 INDRAVATI NADI KE PASS	Municipal Fund, Municipal Fund, Municipal Fund	As per Estimation	15730132.74	2831423.9	18561556.63

--

**E-sign**